न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला- प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या- 525/15 दीनदयाल शंकरलाल बनाम लक्ष्मीनारायण

17.1.19 - पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय० आये।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र O22R4 पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अहकत प्रार्थना-पत्र O22R4 पर उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी।

हमने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना-पत्र का अवलोकन व अध्ययन किया एवं बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी के हस्ता. भी अंकित नहीं है एवं प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र भी संलग्न नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र O22R4 की देरी के पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत परिसीमा अधिनियम धारा-5 का प्रार्थना भी पेश नहीं किया।

अत: प्रार्थना-पत्र O22R4 विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को बावजूद जानकारी देरी से पेश किया गया। उक्त विवेचन से यह न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में लिख कर सुनाया गया।

[signature]
17.1.19

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी